



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092022-239165
CG-DL-E-27092022-239165

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4367]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 27, 2022/आश्विन 5, 1944

No. 4367]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 27, 2022/ ASVINA 5, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2022

का.आ. 4556(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करती है: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 29 मार्च 2012 के का.आ.सं.643(ई) के तहत प्रकाशित किया।

उक्त अधिसूचनाओं की अनुसूची में क्रमांक के (i) कॉलम (2) के सामने। भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) से संबंधित संख्या (1) और (2) को राजस्व मंडल अधिकारी, एलुरु / राजस्व मंडल अधिकारी, कोवूर और (ii) के स्थान पर संयुक्त कलेक्टर, पश्चिमी गोदावरी जिला, भीमावरम के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा और (ii) भूमि के खंड से संबंधित क्रम संख्या (1) और (2) के कॉलम (3) को 1. ताडेपल्लीगुडेम, और 2. पेंटापाडु के मंडलों के लिए गुंडुगोलानु - राजमुंदरी खंड के स्थान पर NH216A के सिद्धांतम - गुंडुगोलानु खंड के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा। उक्त अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकरणों के कार्यों को करने के लिए क्रमांक (2) के कॉलम (5) में क्रमांक (1) के कॉलम (5) में और 1. तनुकु और 2. पेनुगोंडा के कॉलम (5) में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी।

आंध्र प्रदेश राज्य में नए जिलों के गठन के कारण और खंड के लिए एनएच संख्या में परिवर्तन के कारण, क्रमांक 2527 (ई) दिनांक 17 सितंबर 2015, सीएएलए नामकरण में परिवर्तन, जिले का नाम और खंड का नाम।

आंध्र प्रदेश राज्य में नए जिलों के गठन के कारण और खंड के लिए एनएच संख्या में परिवर्तन के कारण, क्रमांक 2527 (ई) दिनांक 17 सितंबर 2015, सीएएलए नामकरण में परिवर्तन, जिले का नाम और खंड का नाम।

[फा. सं. NHAI/11011/LA/Notif.-3a/PIU-RJY/2011-12]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 23rd September, 2022

S.O. 4556(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) the Central Government hereby makes the following amendment in the Gazette Notifications of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways published vide S. O. No.643 (E) dated 29th March 2012.

In the Schedule to the said Notifications against (i) column (2) of Sl. No.(1) & (2) relating to Competent Authority for Land Acquisition (CALA) shall be substituted as Joint Collector, West Godavari District, Bhimavaram" in place of Revenue Divisional Officer, Eluru/ Revenue Divisional Officer, Kovvur and (ii) column (3) of Sl. No.(1) & (2) relating to stretch of land shall be substituted as Siddantham - Gundugolanu section of NH216A in place of Gundugolanu – Rajahmundry Section for the mandals of 1. Tadepalligudem, and 2. Pentapadu, in Column (5) of Sl. No. (1) and for the mandals of 1. Tanuku & 2) Penugonda in Column (5) of Sl. No.(2) to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Due to the formation of new districts in the state of Andhra Pradesh and due to change of NH number for the stretch, vide S. O. No.2527 (E) dated 17th September 2015, Change in CALA Nomenclature, District Name and stretch name.

Due to the formation of new districts in the state of Andhra Pradesh and due to change of NH number for the stretch, vide S. O. No.2527 (E) dated 17th September 2015, Change in CALA Nomenclature, District Name and stretch name.

[F. No. NHAI/11011/LA/Notif.-3a/PIU-RJY/2011-12]

RAJESH GUPTA, Director